Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 16-2026] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 21 अप्रैल, 2026
(1 वैशाख, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 15/के०अ० 16/1927/धा० 29/2026, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 – अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील बहल, गांव सिरसी, हदबस्त नं० 29 की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने बारे।	77–78
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 16/के०अ० 16/1927/धा० 30/2026, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 – अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील बहल, गांव सिरसी, हदबस्त नं० 29 की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित भूमि पर खड़े तथा उगाए गए वृक्षों आदि को आरक्षित घोषित करने बारे।	79–80
	3. अधिसूचना संख्या का०आ० 17/के०अ० 16/1927/धा० 32/2026, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 – अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील बहल, गांव सिरसी, हदबस्त नं० 29 की भूमि पर लागू होने वाले नियम बनाने बारे।	81–82
	4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 5/संवि०/अनु० 309/2026, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 – हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2026।	83–84
	5. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2026, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 – हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2026।	85–88
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अप्रैल, 2026

संख्या का०आ० 15/के०अ० 16/1927/धा० 29/2026.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्दीय अधिनियम 16) की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करते हैं, जिस पर उक्त अधिनियम के अध्याय IV के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:–

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	तहसील	गांव व हदबस्त नं०	क्षेत्र का विवरण		क्षेत्रफल एकड़ों में
				आयत संख्या	किला नं०	
1	भिवानी	बहल	सिरसी हदबस्त नं० 29	145	18/2 19/1 22/2	01 एकड़, 03 कनाल, 11 मरले

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 17th April, 2026

No. S.O. 15/C.A. 16/1927/S. 29/2026.— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) read with sub-section (2) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927) the Governor of Haryana hereby declares the land described in the Schedule given below to be protected forests to which the provisions of Chapter IV of the said Act, shall be applicable, namely :-

SCHEDULE

Serial Number	**District**	**Tehsil**	**Village with Hadbast No.**	**Description of field**		**Total Area (in Acres)**
				Khasra / Rectangle No.	**Killa No.**	
1	Bhiwani	Behal	Sirsi Hadbast No. 29	145	18/2 19/1 22/2	01 Acre 03 Kanal 11 Marla

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.

12519—C.S.—H.G.P., Pkl.